www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 08.04.2017

सीबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के कथित उल्लंघन पर बैंक एवं डाक विभाग के कर्मियों के विरूद्ध अलग-अलग दो मामले दर्ज किए

सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, चिलाकलुरीपेट बाजार शाखा, जिला गुन्टूर (आन्ध्र प्रदेश) के विशेष सहायक (लेखा अधिकारी) एवं अन्य अज्ञातों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 409 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया।

ऐसा आरोप था कि 500 रू. एवं 1000 रू. के वर्तमान नोटों के वैध चलन को वापस लेने के भारत सरकार की दिनांक 08.11.2016 की अधिसूचना के पश्चात, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को नकद पटल से 10,000 एवं सप्ताह में कुल 20,000 रू. तक निकालने का निर्देश ज़ारी किया। आरोपियों ने अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र किया एवं निर्दिष्ट बैंक नोटों और नियत फार्म में उपभोक्ताओं (के.वाई.सी. दस्तावेजों) के विवरण प्राप्त किए बिना 86 लेन-देन में 44,35,500 रू. (लगभग) की धनराशि के निर्दिष्ट बैंक नोटों (1000 रू. एवं 500 रू. मुद्रा मूल्य के नोट) को बदला तथा इस प्रकार, जनमानस, जो कि विमुद्रीकरण के कारण वैध मुद्रा की सख्त जरूरत में थी, की अनदेखी कर निर्दिष्ट बैंक नोटों को बदलने में अपनी पहचान के व्यक्तियों का पक्ष लिया। गुन्टूर स्थित आरोपी के आवासीय परिसर से तलाशी ली।

-2-

उप-डाक कार्यालय, गॉंधी प्लेस, विशाखात्तनम् में कार्यरत उप-डाक कार्यालय, गॉंधी प्लेस, विशाखापत्तनम् के उप-डाक पाल एवं तत्कालीन डाक सहायक तथा अज्ञात लोक सेवकों/ प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 406, 409, 420 एवं 477-ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत एक अन्य मामला दर्ज किया।

ऐसा आरोप था कि दिनांक 10.11.2016 एवं 24.11.2016 के मध्य,उक्त डाक कर्मियों ने उप-डाक कार्यालय, गॉंधी प्लेस, श्रीरीपुरम, विशाखापत्तनम् में कार्य करने के दौरान अज्ञात प्राइवेट व्यक्तियों के साथ आपराधिक षड़यंत्र किया एवं षड़यंत्र के अनुसरण में, उन्होने अनाधिकृत तथा कपटपूर्ण तरीके से आर.बी.आई. एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन में कमीशन पर कार्य करने वाले का वैध पहचान पत्र प्राप्त किए बिना पुराने सीरीज की वापस ली गई मुद्रा नोटों के विरूद्ध 21,88,000रू. (लगभग) वैध मुद्रा मूल्य में बदला। विशाखापत्तनम् स्थित आरोपी के आवासीय परिसर से तलाशी की।

दोनो मामलों में जॉंच जारी है।

****